संख्या- 02/2024/आई/521406/2024/ 37-3099/3/2019

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन,

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक 15 मार्च, 2024**

विषय: उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1723-24, दिनांक 13.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या-03/2021/57/37-3-2021-5(22)/2017, दिनांक 18.01.2021 द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लिया गया था:-

(1)- पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अनुमन्य होगा तथा इसका नकद भुगतान 01 अप्रैल, 2019 से किया जायेगा।

(2)- योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी द्वारा इस आशय की एक अण्डर टेकिंग दी जायेगी कि वेतन स्तर के पुनरीक्षण पर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण अथवा अनुचित वेतन स्तर और वेतन प्रकोष्ठ या अन्य अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किये जाने की दशा में अग्रिम भुगतान अथवा भुगतान के अन्यथा अवसरों पर उस प्रक्रिया के अनुसार समायोजित किया जायेगा, जिसे वित्त मंत्रालय (Department of Expenditure) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः-1-5/2016-आई0सी0 दिनांक 29.07.2016 द्वारा निर्धारित किया गया है।

(3)- वेतन पुनरीक्षण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-1-7/2015-U.II(1) दिनांक 02.11.2017 यथा संशोधित पत्र संख्या-1-7/2015-7/2015-U.II(1) दिनांक 08.11.2017 के बिन्दु-2 में उल्लिखित पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा। वेतनमानों का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण उन्हीं मामलों में अनुमन्य होगा, जिनमें दिनांक 01.01.2016 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देय वेतनमान पर रहे थे।

(4)- वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के संबंध में 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियाँ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-1-7/2015-U.II(1) दिनांक 02.11.2017 के बिन्दु-09 तथा 10 के अनुसार क्रमशः अनुमन्य होंगे।

(5)- उपर्युक्तानुसार वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से किया जायेगा/से देय होगा। पुनरीक्षित वेतनमानों के एरियर का भुगतान दिनांक 30.09.2020 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बाद अथवा इस संबंध में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6)- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के एरियर का भुगतान तब किया जायेगा, जब आई.सी.ए.आर. (भारत सरकार) द्वारा उक्त अवधि के एरियर पर आने वाले व्यय-भार के 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त कर दी जाय।

(7)- प्रश्नगत वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरुप राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय-भार हेतु धनराशि की व्यवस्था अनुदान संख्या-11 के विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग अथवा विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी।

(8)- उपर्युक्तानुसार वेतनमानों के पुनरीक्षण के अलावा अनुमन्य मंहगाई भत्ता व अन्य भत्तों आदि का पुनरीक्षण/संशोधन उसी प्रकार किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किया जाता है।

3- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) श्री आर0सी0 अग्रवाल के पत्रांक-Agri,Edn.-17-8/2018-A&P(Pt.) (e-37512) दिनांक 31.10.2023 एवं दिनांक 16.11.2023, जो विश्वविद्यालय के कुलपति को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 को पृष्ठांकित है, में राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गयी है कि 7वें वेतनमान के एरियर के संबंध में 50 प्रतिशत अंश (राज्यांश) का भुगतान सर्वप्रथम राज्यों द्वारा कर दिया जाय। राज्यों द्वारा 50 प्रतिशत एरियर का भुगतान कर अवशेष 50 प्रतिशत (केन्द्रांश) की मांग प्रमाण-पत्र के साथ की जाय।

आई0सी0ए0आर0 ने अपने पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी 50 प्रतिशत एरियर की धनराशि की समय-सीमा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो जाएगी। अतः राज्य सरकार को 50 प्रतिशत राज्यांश का भुगतान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ही अवशेष केन्द्रांश का दावा करने का अवसर है।

4- अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रों दिनांक 31.10.2023 एवं दिनांक 16.11.2023 में की गयी अपेक्षानुक्रम में उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-03/2021/57/37-3-2021-5(22)/2017, दिनांक 18.01.2021 के प्रस्तर-1(6) में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों को निम्नलिखित तालिका में दी गयी व्यवस्थानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

शासनादेश दिनांक 18.01.2021 के प्रस्तर-1(6) में इंगित व्यवस्था	संशोधित वर्तमान व्यवस्था
दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के एरियर का भुगतान तब किया जायेगा, जब आई.सी.ए.आर. (भारत सरकार) द्वारा उक्त अवधि के एरियर पर आने वाले व्यय-भार के 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त कर दी जाय।	"भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक-Agri,Edn.-17-8/2018-A&P(Pt.) (e-37512) दिनांक 31.10.2023 एवं दिनांक 16.11.2023 के क्रम में उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का 50 प्रतिशत (राज्यांश) का एकमुश्त भुगतान चालू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वित्तीय वर्ष में करते हुए भारत सरकार से अवशेष 50 प्रतिशत (केन्द्रांश) की मांग की जाय।''

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-03/2021/57/37-3-2021-5(22)/2017, दिनांक 18.01.2021 को उपर्युक्त प्रस्तर-4 में इंगित तालिका अनुसार संशोधित समक्षा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। उक्त शासनादेश दिनांक 18.01.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-1-641-X-2023-24, दिनांक 14-03-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रविन्द्र,
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
2- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
3- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज (इलाहाबाद)।
4- निदेशक, डी0ए0आर0ई0 भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
5- सचिव/उप निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-।। पूसा नई दिल्ली-110012
6- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
7- महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
10- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/वित्त (लेखा) अनुभाग-3/ पशुधन अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in